रजिस्ट्री सं.डीएल—(एन) 04/0007/2003—18 REGISTERED No- DL—(N) 04/0007/2003—18

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 2—फरवरी 8, 2019 (माघ 13, 1940)

No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 2—FEBRUARY 8, 2019 (MAGHA 13, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc- of Govt- Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली–110011, दिनांक 16 जनवरी 2019

शुद्धि–पत्र

सं. ए. 22017/1/2014–पीएमई––इस कार्यालय की दिनांक 17.09.2018 की समसंख्यक अधिसूचना में ''केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव'' के स्थान पर ''केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेवानिवृत्त अवर सचिव'' पढ़ा जाए।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

नीति आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

सं. एफ. 6(2288)/2017-प्रशा.।ए—नीति आयोग के दिनांक 06.08.2018 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.12.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36/1/2018-ईओ(एसएम.।)(3) के तहत संसूचित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसरण में श्री अनिल श्रीवास्तव (आईएएसःएमपीः 85) को नीति आयोग में प्रधान सलाहकार के रूप में पुनः पदनामित किया जाता है।

शशि पाल, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 2018

सं. एफ. 6(2274)/2016-प्रशा-II—राष्ट्रपति, श्री सोम दत्त शर्मा, सीएसएस (सीएसएल सं. 5766), उप सचिव, नीति आयोग को सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 48 के अंतर्गत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 17/1/2016-सीएस-आई(डी) दिनांक 14.11.2018 द्वारा संसूचित अनुमोदन के अनुसार दिनांक 14 नवम्बर, 2018 से सरकारी सेवा से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं। यह दिनांक 14 नवम्बर, 2018 की समसंख्यक पूर्व अधिसूचना के अधिक्रमण में हैं।

दिनेश कोछड, अवर सचिव

———————

दिनांक 18 दिसम्बर 2018

सं. एफ. 6 (2228)/2013-प्रशा.I(खण्ड.II)—मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/4/2013-ईओ (एमएम-I) दिनांक 13.12.2018 के तहत संसूचित अनुमोदन के अनुसरण में श्री संजय कुमार, आईसीओएएस (1999), निदेशक, नीति आयोग की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि को सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत दिनांक 02.12.2018 से छः महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है।

2. इनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि की गणना दिनांक 02.12.2013 से की जायेगी।

दिनेश कोछड, अवर सचिव

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2019

सं. डीपी/कार्मिक-1/2018/193/03/39/2014—श्री बी. शंकर राव, पुलिस उपाधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना, एसीबी, हैदराबाद ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर 31.12.2018 के अपराह्न से पुलिस उपाधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

डी.पी. सिह, प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली–110001, दिनांक 16 जनवरी 2019

सं. I–18011/04/2018–आई.पी.एस.–4–– राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के असम व मेघालय संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थाई करते हैं–

क्र.सं.	परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री थुबे प्रतिक विजयकुमार, भा.पु.से. (ए.एम.: 2013)	02.09.2015
2.	श्रीमति रमनदीप कौर, भा.पु.से. (ए.एम.: 2013)	06.12.2015

अंजन सरकार, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

[उप न्याचार प्रमुख (सु) का कार्यालय]

नई दिल्ली, 03 जनवरी 2019

सं. डी III/460/सी एफ–61/2018––भारत के राष्ट्रपति गोवा के पुर्तगाल के प्रधान कोंसल के रूप में श्री आन्तोनिओ जुज़े क्रिश्तेल्लो द ओलिवेरा सान्तुश तवारेश की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री आन्तोनिओ जुज़े क्रिश्तेल्लो द ओलिवेरा सान्तुश तवारेश के कोंसली क्षेत्राधिकार में गोवा और महाराष्ट्र राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश दमन और दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली होंगे, जिसका केंद्र गोवा होगा।

डी.सी.डी. दास, उप न्याचार प्रमुख (सु)

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 2019

सं. ए-12026/6/2016-एड.I (पार्ट)—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित प्रधान निजी सचिवों को 'तदर्थ' आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 30.06.2019 तक की अवधि के लिए या इन पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वेतन मैट्रिक्स (78,800 - 2,09,200/-रु.) के लेवल-12 [संशोधन पूर्व पीबी-3 (15600-39100 रु.+7600 (जीपी)] में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं:

सूची में क्र. सं.	नाम	विभाग	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
218	श्री ए.के. गौड़	व्यय	31.12.2018 (पूर्वाह्न)
225	श्री ए. राधाकृष्णन	व्यय	28.12.2018 (अपराह्न)

2. उपर्युक्त अधिकारियों की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड में नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 28 दिसम्बर, 2018 के का.ज्ञा. सं. 2/5/2017-सीएस.II(ए) में दी गई शर्तों द्वारा शासित होगी।

राकेश कुमार सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्तूबर 2018

सं. ए–12026/1/2015–एडी.I––राष्ट्रपति, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक के पद पर श्री चितरंजन दास, आई आर एस (आयकर:1999) की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि 13 अक्तूबर, 2018 से तीन माह के लिए बढ़ाते हैं।

सु. कु. बिस्वास, अवर सचिव

दिनांक 17 दिसम्बर 2018

सं. ए–12026/6/2016–एड.I(पीटी)––राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के का.ज्ञा. सं. 3/3/2016–सीएस.II(ए) के द्वारा व्यय विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) संवर्ग के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के वर्ष 2016 की चयन सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के निम्नलिखित निजी सचिवों को चयन सूची 2016 के लिए 15600––39100 रु. (वेतन बैंड–3) + 6600 रु. (ग्रेड वेतन) (वेतन मैट्रिक्स का लेवल–11) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) ग्रेड में नियुक्त करते हैं:––

क्रम सं.	नाम	सीएसएल सं.	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री नीरज भंडारी	140	22.11.2018
2.	श्रीमती कविता मनसुखानी	183	22.11.2018

2. उपर्युक्त अधिकारियों की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उक्त का. ज्ञा. में दी गई शर्तों द्वारा शासित होगी।

एस. के. बिस्वास, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2019

सं. ए–12026/1/2015–एड.I––राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में निदेशक के पद पर तैनात श्री चितरंजन दाश, आईआरएस (आईटी:1999) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि को 13.01.2019 के बाद नौ माह की अवधि के लिए अर्थात् 13.10.2019 बढ़ाते हैं।

एस. के. बिस्वास, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2019

सं. ए-11019/01/2018-ईजी—राष्ट्रपति, श्री जसविन्दर शर्मा को दिनांक 10.12.2018 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक 15,600- 39,100/- रुपए (ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए) (संशोधन-पूर्व) (वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11- संशोधित) के वेतनमान में महालेखाकार का कार्यालय (ए एंड ई), पंजाब, चंडीगढ़ में कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्ति करते हैं।

हरि किशोर, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2019

सं. क-43011(15)/10/2018-एसईजेड (प्रशा.)—राष्ट्रपति द्वारा श्री के. श्रीनिवासु, अवर सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को दिनांक 06/04/2017 (पूर्वाहन) से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, लागत वसूली के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर वाणिज्य विभाग के अधीन हैदराबाद क्लस्टर विशेष आर्थिक क्षेत्र, हैदराबाद में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11, तदनुरूपी वेतन बैण्ड-3 ₹ 15600-39100/- और ग्रेड वेतन ₹ 6600/- के तहत उप विकास आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है।

आदित्य नारायण, अवर सचिव

———————

सं. ए-22012/5/2018-एसईजेड (प्रशा.)—राष्ट्रपति द्वारा श्रीमती ओरूगंती फनी, अवर सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग को 22/10/2018 (पूर्वाहन) से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो प्रतिनियुक्ति आधार पर वाणिज्य विभाग के अधीन विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशाखापत्तनम में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11, तदनुरूपी वेतन बैण्ड-3 ₹ 15600-39100/- और ग्रेड वेतन ₹ 6600/- के तहत उप विकास आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता है।

आदित्य नारायण, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2019

सं. ए-19014/1/2018-स्था.—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.12.2018 के आदेश सं. 2/5/2017-सीएस-।।(ए) के अनुसरण में श्रीमती रेनु वाधवा को दिनांक 31.12.2018 के पूर्वाह्न से दिनांक 30.06.2019 तक की अवधि के लिए या नियमित आधार पर पदों के भरे जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो वस्त्र मंत्रालय में तदर्थ आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. यह पदोन्नति माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में पारित दिनांक 15.07.2011 के आदेश तथा अंतिम निर्णय से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 के परिणाम तथा ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई तथा अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 निर्णय से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 31288/2017 तथा न्यायालय में इससे से संबंधित किसी भी अन्य मामले के परिणाम के अध्यधीन है।

जयश्री शिवकुमार, अवर सचिव

———————

सं. ए-19014/2/2016-स्था.—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.12.2018 के आदेश सं. 4/11/2015-सीएस-।(डी) (भाग-।) (खंड ।।।) के अनुसरण में श्रीमती अल्का सोनी को दिनांक 28.12.2018 के अपराह्न से दिनांक 30.06.2019 तक की अवधि के लिए या नियमित आधार पर पदों के भरे जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, विशुद्ध रूप से 'तदर्थ' आधार पर वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (78,800/- रुपए - 2,09,200/- रुपए) [संशोधन पूर्व पीबी-3 के 7,600/- रुपए के ग्रेड पे में (15,600/- रुपए -39,100/- रुपए)] में वस्त्र मंत्रालय में सिलेक्शन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. यह पदोन्नति एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 (जरनैल सिंह और अन्य बनाम लछमी नारायण गुप्ता और अन्य) तथा एसएलपी (सी) सं. 31288/2017 और न्यायालय में इससे संबंधित किसी अन्य मामले के परिणाम के अध्यधीन है।

जयश्री शिवकुमार, अवर सचिव

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2019

सं. ए-19011/10/2016-स्थापना—राष्ट्रपति, दिनांक 28.12.2018 के अपराह्न से दिनांक 30.06.2019 तक की अवधि के लिए, अथवा, नियमित आधार पर पदों के भरे जाने तक, अथवा, आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग में तदर्थ आधार पर पे मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800 रु. - 2,09,200 रु.) में सेलेक्शन ग्रेड (उप सचिव) में केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अधिकारी श्री एन. मोहन रंगनाथन, ग्रेड-I (अवर सचिव) को नियुक्ति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त 'तदर्थ' पदोन्नति, सेलेक्शदन ग्रेड (उप सचिव) में केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-I (अवर सचिव) अधिकारी के तदर्थ पदोन्नति के विषय पर दिनांक 28.12.2018 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 4/11/2015- सीएस-I (डी) (बिंदू-I) (खंड-III) के पैरा-3 में उल्लि्खित शर्तों के अधीन होगा।

3. उपरोक्त 'तदर्थ' पदोन्नति एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 (जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता एवं अन्य.) और एसएलपी (सी) सं. 31288/2017 और संबंधित मामले में न्यायालय के किसी अन्य मामले के परिणाम के अधीन है।

टी. पी. एन. सिंह, अवर सचिव

सं. ए-19011/13/2016-स्थापना—राष्ट्रपति, दिनांक 28.12.2018 के अपराह्न से दिनांक 30.06.2019 तक की अवधि के लिए, अथवा, नियमित आधार पर पदों के भरे जाने तक, अथवा, आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग में तदर्थ आधार पर पे मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800 रु. — 2,09,200 रु.) में सेलेक्शन ग्रेड (उप सचिव) में केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अधिकारी श्री जे.पी. सिंह, ग्रेड-I (अवर सचिव) को नियुक्ति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त 'तदर्थ' पदोन्नति, सेलेक्शन ग्रेड (उप सचिव) में केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-I (अवर सचिव) अधिकारी के तदर्थ पदोन्नति के विषय पर दिनांक 28.12.2018 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 4/11/2015- सीएस-I (डी) (बिंदू-I) (खंड-III) के पैरा-3 में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा।

3. उपरोक्त 'तदर्थ' पदोन्नति एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 (जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता एवं अन्य) और एसएलपी (सी) सं. 31288/2017 और संबंधित मामले में न्यायालय के किसी अन्य मामले के परिणाम के अधीन है।

टी. पी. एन. सिंह, अवर सचिव

दिनांक 8 जनवरी 2019

सं. ए-19011/13/2013-स्थापना—राष्ट्रपति, दिनांक 28.12.2018 के अपराह्न से दिनांक 30.06.2019 तक की अवधि के लिए, अथवा, नियमित आधार पर पदों के भरे जाने तक, अथवा, आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग में तदर्थ आधार पर पे मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700 रु. — 2,08,700 रु.) में [संशोधन-पूर्व पीबी-3 (15,600 रु. — 39,100 रु) 6,600 रु./- के ग्रेड पे के साथ] केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारी श्री सतेंदर प्रसाद को सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त 'तदर्थ' पदोन्नति, केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड-I (अवर सचिव) अधिकारी के रूप में तदर्थ पदोन्नति के विषय पर दिनांक 28.12.2018 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 5/4/2017-सीएस-I (यू) के पैरा-3 में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा।

3. उपरोक्त 'तदर्थ' पदोन्नति एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 (जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता एवं अन्य) और एसएलपी (सी) सं. 31288/2017 और संबंधित मामले में न्यायालय के किसी अन्य मामले के परिणाम के अधीन है।

टी.पी.एन. सिंह, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी 2019

सं. ए-12011/3/2013-स्थापना—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के दिनांक 29 नवम्बर, 2018 के पत्र संख्या एफ.1/36(1)/2018-ए.पी.I की सिफ़ारिशों के अनुसरण में निम्नलिखित नियमित मापविज्ञान सहायकों को वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10

(56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये) में दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सहायक निदेशक (एल. एम.) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं:—

1.	श्री डी. के. वर्मा
2.	श्री दिनेश सागर
3.	श्री नितिन मर्जारा
4.	श्रीमती श्रद्धा सक्सेना
5.	श्री बिपिन शर्मा

अनिल कुमार पाण्डेय, अवर सचिव

दिनांक 17 जनवरी 2019

सं. ए-12011/1/2014-स्थापना—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28 दिसंबर, 2018 के आदेश संख्या 5/8/2013-सी.एस.I(यू) के अनुसरण में उपभोक्ता मामले विभाग में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अवर सचिवों की तदर्थ नियुक्ति की अवधि में 30.06.2019 तक विस्तार करते हैं:—

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	सीएसएल संख्या	तारीख, जब से अवर सचिव के रूप कार्य कर रहे हैं	तारीख, जब तक आगे विस्तार दिया गया है
1.	श्री पी.के. त्यागी	7923	18.06.2013 (अपराह्न)	30.06.2019
2.	श्रीमती जयश्री नारायणन	9205	29.09.2016	30.06.2019

2. तदर्थ प्रोन्नति का विस्तार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन होगा।

अनिल कुमार पाण्डेय, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली- 110016, दिनांक 4 जनवरी 2019

सं. ए-19015/01/2013-स्थापना।—कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28 दिसम्बतर, 2018 के आदेश सं. 5/4/2017-सीएस.I (यू) के द्वारा तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर प्रोन्नति के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति महोदय श्री बीरबल सिंह नेगी, अनुभाग अधिकारी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में 30.06.2019 तक की अवधि के लिए पूर्णत: तदर्थ आधार पर अथवा जब तक यह पद नियमित आधार पर नहीं भरा जाता है, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) अवर सचिव (ग्रेड-I) के पद पर 67700-208700/- रुपए के पे मेट्रिक्स स्तर 11 में 28.12.2018 (अपराह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। यह तदर्थ प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

(i) यह तदर्थ प्रोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक जारी रखने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए वरीयता सूची में सम्मिलित करने के लिए अथवा सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरीयता का दावा करने के लिए किसी प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(ii) यह तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय निरस्तर की जा सकती है।

(iii) ग्रेड-I (अवर सचिव) में तदर्थ आधार पर की गई सेवा को उस ग्रेड में वरीयता अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के उद्देश्य के लिए नहीं गिना जाएगा।

(iv) यह तदर्थ प्रोन्नति एसएलपी (सी) सं.30621/2011 (जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लछमी नारायण गुप्ता एवं अन्य) तथा एसएलपी (सी) सं.31288/2017 तथा इससे संबद्ध विषय में किसी अन्य न्यायालयी मामले के परिणाम के अधीन होगी।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा विभाग
(परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद)

मुंबई-400094, दिनांक 18 जनवरी 2019

सं. AERB/Admn/1/77/196—भारत के राष्ट्रपति श्री गुंटूर नागेश्वर राव को दिनांक 04.01.2019 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों तक अथवा अगले आदेशों तक में से जो भी पहले हो, के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् का अध्यक्ष सहर्ष नियुक्त करते हैं।

शीला मोहन, मुख्य प्रशासन अधिकारी

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 18 जनवरी 2019

सं. निसेसंप्रनि/प्र/9(334)/2018-भर्ती/80—राष्ट्रपति, निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को आगामी आदेशों तक निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई में उनकी पदोन्नति होने पर प्रत्येक के सामने उल्लिखित दिनांक तथा ग्रेड में नियुक्त करते हैं:—

क्र.सं.	नाम	पदोन्नत ग्रेड	वेतन मैट्रिक्स का स्तर	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	श्रीमती रीटा एस. घोगले	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	10	01.09.2017 (पूर्वाह्न)
2	श्री आर. बालकृष्णन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	10	01.01.2019 (पूर्वाह्न)

एस. कोमलवल्ली, प्रशासन अधिकारी-III

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2019

सं. ई(ओ)III-2019/आरएन/01—श्री शंकर मजूमदार, भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी (जन्म तिथि: 09/02/68, डीआईटीएस:07/03/90) का कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर) में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 20.12.2018 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

रंजनेश सहाय, सचिव

दिनांक 15 जनवरी 2019

सं. ई(ओ)III-2019/आरएन/02—श्री संतोष सिन्हा, भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी (जन्म तिथि: 30/09/67, डीआईटीएस:10/03/91) का कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर) में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 20.12.2018 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

रंजनेश सहाय, सचिव

दिनांक 17 जनवरी 2019

सं. ईआरबी-1/12017/2/14—राष्ट्रपति जी, श्री धर्मेंद्र कुमार, आईआरटीएस को 10.01.2019 के पूर्वाह्न से एस ए जी ग्रेड में पदोन्नत होने पर कार्यपालक निदेशक (मील रेल) सेना मुख्यालय, सेना भवन के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रंजनेश सहाय, सचिव

दिनांक 18 जनवरी 2019

सं. ई(ओ)III-2018/आरएन/45—श्री आलोक बडकुल भारतीय रेल यातायात सेवा के वरिष्ठ प्राशासनिक ग्रेड अधिकारी (एनबीआर के अंतर्गत) (जन्म तिथि: 06.11.1971, डीआईटीएस: 25.08.97) का भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 20/12/2018 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

रंजनेश सहाय, सचिव

सं. ई(ओ)III-2018/आरएन/46—श्री गुडला रवि कुमार भारतीय रेल यातायात सेवा के वरिष्ठ प्राशासनिक ग्रेड अधिकारी (एनबीआर के अंतर्गत) (जन्म तिथि: 01.07.1964, डीआईटीएस: 05.06.95) का भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 20/12/2018 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

रंजनेश सहाय, सचिव

सं. ई(ओ)III-2018/आरएन/47—श्री मोहम्मद अज़हर शम्स भारतीय रेल यातायात सेवा के वरिष्ठ प्राशासनिक ग्रेड अधिकारी (एनबीआर के अंतर्गत) (जन्म तिथि: 19.02.1966, डीआईटीएस: 05.09.1994) का भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 20/12/2018 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

रंजनेश सहाय, सचिव

नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली10003-, दिनांक 18 जनवरी 2019

सं. 50/48/2017-प्रशासन-1—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/4/2015-सी. एस.-I(एस) दिनांक 28.12.2018 के अनुपालन में श्रीमति सुमन लता शर्मा, सहायक अनुभाग अधिकारी को नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 17.01.2019 के पूर्वाहन से 31.12.2019 तक की अवधि के लिए या अगले आदेश तक या नियमित आधार पर पद भरे जाने तक, जो भी पहले हो, पदोन्नत किया जाता है।

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/4/2015-सी. एस.-I(एस) दिनांक 28.12.2018 में निधारित शर्तों के आधीन रहेगी।

के. जी. सुरेश कुमार, अवर सचिव

सं. 67/2/2019-प्रशासन-1—कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग, के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/2/2018-सी एस.II (ऐ) दिनांक 31.12.2018 की शर्तो में, निम्नलिखित निजी सहायकों को नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय में निजी सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 18.01.2019 के पूर्वाहन से 30/06/2019 तक की अवधि के लिए या अगले आदेश तक या नियमित आधार पर पद भरे जाने तक, जो भी पहले हो, पदौन्नत किया जाता है।

1. श्रीमति बबीता सैनी
2. श्री किशोर कुमार हेमदानी
3. श्री आशिम कुमार दास
4. श्री रजनीश कुमार

के. जी. सुरेश कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 जनवरी 2019

सं. 50/3/2018 प्रशा.I—नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के श्री राकेश कुमार, पी एस दिनांक 22.01.2019 के पूर्वाहन से सरकारी सेवा से स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत हुए।

अरविंद पोखरियाल, अवर सचिव

दिनांक 23 जनवरी 2019

सं. 49/9/2018-प्रशा.1—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20/1/2018-ईओ (एमएम -1) दिनांक 27.12.2018 के अनुपालन में श्री प्रशांत एन, आईएएस (केएल: 2007) को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से दिनांक 23.01.2019 की पूर्वाह्न से कार्यमुक्त किया जाता है।

अरविंद पोखरियाल, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 2019

सं. ए-31011/04/2018-सीएलएस-I—राष्ट्रपति जी, श्री राजन वर्मा को केन्द्रीय श्रम सेवा में उच्च प्रशासनिक ग्रेड में उनकी प्रोन्नति होने पर दिनांक 01.01.2019 (पूर्वाह्न) से एवं अगले आदेशों तक पे मेट्रिक्स स्तर-15 (182,200 - 224,100/- रु.) में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के रूप में नियुक्त करते हैं।

अजय मलिक, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2018

सं. ए–12018/2/2016–आईएसएच–II––राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और खान सुरक्षा महानिदेशालय (समूह 'क' पद) भर्त्ती नियम, 2013 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय में समूह 'क' के पदों पर भर्त्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान सुरक्षा महानिदेशालय (समूह 'क' पद) भर्त्ती नियम, 2018 है।

   2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्त्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अन्य अर्हताएँ, आदि : उक्त पदों पर भर्त्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएँ और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं :– वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है : उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्त्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

दिनांक 9 जनवरी 2019

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और खान सुरक्षा महानिदेशालय (समूह 'क' पद) भर्त्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या

करने का लोप किया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय में **खान सुरक्षा उप-महानिदेशक** (**यांत्रिक**) के **पद के** भर्त्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम **बनाते** हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **उप-महानिदेशक,** खान सुरक्षा (**यांत्रिक**) भर्त्ती नियम, 2019 है।
2. ये राजपत्र में **प्रकाशन** की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्त्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अन्य अर्हताएँ, आदि : उक्त पदों पर भर्त्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएँ और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं :– वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है : उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्त्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन **मैट्रिक्स का लेवल**	चयन अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
खान सुरक्षा उप महानिदेशक (खनन)	9*(2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''क'' राजपत्रित/ अननुसचिवीय	**वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14 वेतनमान** (144200-218200/-)	चयन

6	7	8	9	10
सीधे भर्त्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्त्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्त्ती किए जानेवाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दषा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्त्ती की पद्धति : भर्त्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्त्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्त्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13
प्रोन्नति : **वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13 वेतनमान** (123100-215 900/-) में	समूह ''क'' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के	भर्त्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से

ऐसे खान सुरक्षा निदेशक (खनन) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण1: जहॉ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहॉ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	लिए) 1.अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. सचिवया अपर सचिव श्रम और रोजगार मंत्रालय—सदस्य 3.खान सुरक्षा महानिदेशक—सदस्य	परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5
खान सुरक्षा निदशक (खनन)	50*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''क'' राजपत्रित/ अननुसचिवीय	**वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13 वेतनमान (123100-215900/-)**	चयन

6	7	8	9	10
50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पॉच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु —सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप	आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खनन् इंजीनियरी में डिग्री या रायल चार्टर, 1935 द्वारा नियमित इंजीनियरी संस्थान (भारत) से खान इंजीनियरी शाखा में सहयुक्त सदस्य परीक्षा के सेक्शन ए और बी में उत्तीर्ण। (ii) कोयला खान विनियम, 2017 के अधीन और धातुत्पादक खान विनियम, 1961 (अनिवंधित) के अधीन दिया गया प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक प्रमाण पत्र। (iii) खनन् में बारह वर्ष का अनुभव	आयु—नहीं शैक्षिक अर्हताऍ —हॉ	सीधे भर्त्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्त्ती द्वारा।

के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	जिसमें से बड़े खानों के प्रबंध में किसी ज्येष्ठ प्रबंधकीय पद पर या भूमिगत खानों के यंत्रीकृत या खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के कार्यान्वयन से संबद्ध कार्य में कम से कम पॉच वर्ष का अनुभव। टिप्पणः 1, अर्हताएँ, अन्यथा सुरक्षित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : **अनुभव** संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से खनन् इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री।			

11	12	13
प्रोन्नति : **वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 वेतनमान (78800-209200/-)** में ऐसे खान सुरक्षा उप निदेशक (खनन) जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।	समूह ''क'' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1.अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग–अध्यक्ष	किसी अधिकारी की सीधी भर्त्ती करते समय **और** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय (जिसके अंतर्गत

टिप्पण1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या कानूनी या स्वायत संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी। (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जो मूल काडर या विभाग में **वेतन मैट्रिक्स** में **लेवल** 12 **वेतनमान** (78800-209200/-) रु. वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्त्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएँ और विहित अनुभव है। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 से पहले (उस तारीख में जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा मे जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ	2.सचिव या अपर सचिव श्रम और रोजगार मंत्रालय–सदस्य 3.संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय–सदस्य 4.खान सुरक्षा महानिदेशक या खान सुरक्षा उप–महानिदेशक–सदस्य स्मूह'क' विभाग प्रोन्नति **समिति** (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1.सचिव या अपर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय–अध्यक्ष 2.संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय–सदस्य 3.खान सुरक्षा महानिदेशक या खान सुरक्षा उप महानिदेशक–सदस्य	अल्पकालिक संविदा भी है) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना **आवश्यक** है।

केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

1	2	3	4	5
खान सुरक्षा उप महानिदेशक (विद्युत)	1*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''क'' राजपत्रित अननुसचिवीय	**वेतन मैट्रिक्स में लेवल** 14 **वेतनमान** (144200-218200**/-**)	चयन

6	7	8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा

11	12	13
प्रोन्नति : **वेतन मैट्रिक्स में लेवल** 13 **वेतनमान** (123100-215900/-) में ऐसे खान सुरक्षा निदेशक (विद्युत) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण1: जहॉ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2:प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	समूह ''क'' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1.अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग–अध्यक्ष 2.सचिव या अपर सचिव श्रम और रोजगार मंत्रालय–सदस्य 3.खान सुरक्षा महानिदेशक –सदस्य	प्रोन्नति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना **आवश्यक** है।

1	2	3	4	5
खान सुरक्षा निदेशक (विद्युत)	16*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''क'' राजपत्रित अननुसचिवीय	**वेतन मैट्रिक्स में लेवल** 13 **वेतनमान** (123100-215900/-)	चयन

6	7	8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा

11	12	13
प्रोन्नति : **वेतन मैट्रिक्स में लेवल** 13 **वेतनमान (**123100-215900/-) में ऐसे खान सुरक्षा निदेशक (विद्युत) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहॉ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने	समूह ''क'' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1.अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक	प्रोन्नति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	सेवा आयोग–अध्यक्ष 2.सचिव या अपर सचिव श्रम और रोजगार मंत्रालय–सदस्य 3.खान सुरक्षा महानिदेशक–सदस्य	

1	2	3	4	5
खान सुरक्षा निदेशक (विद्युत)	16*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''क'' राजपत्रित अननुसचिवीय	**वेतन मैट्रिक्स में लेवल** 13 **वेतनमान** (123100-215900/-)	चयन

6	7	8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)

11	12	13
प्रोन्नति : **वेतन मैट्रिक्स में लेवल** 12 **वेतनमान** (78800-209200/-) में ऐसे खान सुरक्षा उप–निदेशक (विद्युत) जिन्होंने उस श्रेणी में पॉच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण1: जहॉ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2:प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी	समूह ''क'' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1.अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग–अध्यक्ष 2.सचिव या अपर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय–सदस्य 3.संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय–सदस्य 4.खान सुरक्षा महानिदेशक या खान सुरक्षा उप महानिदेशक (विद्युत)–सदस्य	**किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर** नियुक्ति करते समय (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में **वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 वेतनमान** (78800-209200/-) रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है; (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और **विहित** अनुभव है : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में डिग्री या इंजीनियरी संस्था (भारत) से इंजीनियरी में सहयुक्त सदस्यता परीक्षा के सेक्शन ए और बी में उत्तीर्ण। (ii) विद्युत के उत्पादन, प्रेषण या वितरण या विद्युत उपस्कर का अनुरक्षण में बारह वर्ष का वृत्तिक अनुभव (जिसके अन्तर्गत खनन् में प्रयुक्त संयंत्र और उपस्कर से प्रत्यक्ष संबंधी विद्युत इंजीनियरी में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव भी है)। टिप्पण 1 :-अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 :–अनुभव संबंधी अर्हताएँ उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखनेवाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		

1	2	3	4	5
खान सुरक्षा निदेशक (यांत्रिक)	16*(2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''क'' राजपत्रित अननुसचिवीय	**वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13 वेतनमान** (123100-215900/-)	चयन

6	7	8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)

11	12	13
प्रोन्नति : **वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 वेतनमान** (78800-209200/-)में ऐसे खान सुरक्षा उप–निदेशक (यांत्रिक) जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे **सातवें** केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में **वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 वेतनमान** (78800-209200/- रु)में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पॉच वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव है : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री या इंजीनियरी संस्था (भारत) से यांत्रिक इंजीनियरी शाखा में सहयुक्त सदस्यता परीक्षा के सेक्शन ए और बी में उत्तीर्ण। (ii) किसी औद्योगिक संस्थापन या इंजीनियरी कर्मशाला में बारह वर्ष का अनुभव (जिसके अन्तर्गत खनन् में प्रयुक्त संयंत्र और उपस्कर से प्रत्यक्ष संबंधी याँत्रिक इंजीनियरी में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव भी है)। वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से याँत्रिक इंजीनियरी में मास्टर डिग्री। **पोषक प्रवर्ग** के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होगें। इस प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होगें। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया पाँच वर्ष से	समूह ''क'' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1.अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग–अध्यक्ष 2.सचिव या अपर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय–सदस्य 3.संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रायल –सदस्य 4.खान सुरक्षा महानिदेषक या उप महानिदेषक (**यांत्रिक**)–सदस्य	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना **आवश्यक** है।

अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 से पहले (उस तारीख में जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा में जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी **उन्नयन** का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

1	2	3	4	5
खान सुरक्षा उप–निदेशक (उप जीविका जन्य स्वास्थ्य)	5*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''क'' राजपत्रित अननुसचिवीय	**वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 वेतनमान** (78800-209200/-) +प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	चयन

6	7	8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 60 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)

11	12	13
प्रोन्नति : **वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11 वेतनमान** (67700-208700/-) में ऐसे खान सुरक्षा सहायक निदेशक (स्वास्थ्य उपजीविकाजन्य) श्रेणी–I जिन्होंने उस श्रेणी में पॉच वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यताप्राप्त संस्थाओं या कानूनी या स्वायत संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने **वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11 वेतनमान** (67700-208700/-)या समतुल्य में पाँच वर्षो की नियमित सेवा की है; और (ख) शैक्षिक अर्हता : (i) भारतीय आयुविज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 में (लाइसेंशिएट अर्हता से भिन्न) सम्मिलित कोई मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता। तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता धारकों को उक्त आधिनियम की धारा 13 (3) में दी गई शर्तें पूरी करनी होंगी। (ii) सामुदायिक आयुर्विज्ञान में मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री सहित अधिमानतः कारखानों या खानों में उपजीविकाजन्य	समूह ''क'' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1.अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग–अध्यक्ष 2.सचिव या अपर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय–सदस्य 3.संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय–सदस्य 4.खान सुरक्षा महानिदेषक या खान सुरक्षा उप महानिदेशक –सदस्य	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव। या औधोगिक आयुर्विज्ञान या सामुदायिक आयुर्विज्ञान या लोक स्वास्थ्य में मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित अधिमानतः कारखानों या खानों के सामुदायिक आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में आठ वर्ष का अनुभव। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इस प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) टिप्पण : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या आमेलन के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

1	2	3	4	5
खान सुरक्षा सहायक निदेशक (स्वास्थ्य उपजीविका जन्य) श्रेणी–I	4*(2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''क'' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11 वेतनमान (67700-208700/-) +प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	लागू नहीं होता।

6	7	8	9	10
40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम,	आवश्यकः (1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 में (लाईसेंशिएट अर्हता से भिन्न) सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता। तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता धारकों	लागू नहीं होता।	सीधी भर्त्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	सीधी भर्त्ती

मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	को उक्त अधिनियम की धारा 13 में दी गई शर्तें पूरी करनी होगी। (ii) सामुदायिक आयुर्विज्ञान में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री सहित अधिमानतः कारखानों या खानों में उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। या औधोगिक आयुर्विज्ञान या सामुदायिक आयुर्विज्ञान या लोक स्वास्थ्य में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित अधिमानतः कारखानों या खानों के सामुदायिक आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पणः 1, अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त			

	संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

11	12	13
लागू नहीं होता।	समूह ''क'' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. सचिव, या अपर सचिव श्रम और रोजगार मंत्रालय–अध्यक्ष 2.संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय–सदस्य 3.खान सुरक्षा महानिदेशक या खान सुरक्षा उप–महानिदशक –सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5
निदेशक (प्रशासन)	1*(2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''क'' राजपत्रित अननुसचिवीय	**वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13 वेतनमान** (123100-215900/-)	लागू नहीं होता।

6	7	8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

11	12	13
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविधालयों या कानूनी या स्वायत संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने **वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 वेतनमान** (78800-209200/-) या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की है; या (iii) जिन्होंने **वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11 वेतनमान** (67700-208700/-) या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की है; और (ख) जिनके पास किसी सरकारी कार्यालय या लोक निकाय या ख्याति प्राप्त वाणिज्यिक संगठन में पर्यवेक्षीय हैसियत में प्रशासन या स्थापन कार्य का बारह वर्ष का अनुभव है। टिप्पण 1 :– ऐसे विभागीय उप–निदेशक (प्रशासन) पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा, जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है और यदि पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। टिप्पण 2 :–प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। टिप्पण 3 :–पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। टिप्पण 2 :– प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

1	2	3	4	5
ज्येष्ठ लेखा अधिकारी	1* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''क'' राजपत्रित अननुसचिवीय	**वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11** **वेतनमान** (67700-208700/-)	लागू नहीं होता।

6	7	8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

11	12	13
प्रोन्नति : **वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7 वेतनमान** (44900-142400/-) में ऐसे प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी (भंडार) जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 :–प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा उनकी अपनी–अपनी श्रेणी या पद में विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के प्रति निर्देश से तैयार की जाएगी। टिप्पण 2 : जहॉ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 3 :प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया	समूह ''क'' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. **अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग**–अध्यक्ष 2.संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रायल –सदस्य 3.खान सुरक्षा महानिदेशक या खान सुरक्षा उप महानिदेशक –सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविघालयों या कानूनी या स्वायत संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में **वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 वेतनमान** (56100-177500/-)रू0 या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हैं; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में **वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7 वेतनमान** (44900-142400/-) या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की हैं; और (ख) जिनके पास किसी सरकारी कार्यालय या लोक निकाय या ख्याति प्राप्त वाणिज्यिक संगठन में पर्यवेक्षीय हैसियत में प्रशासन और स्थापन कार्य का पाँच वर्ष का अनुभव है। टिप्पण 1 :–पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्म पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। टिप्पण 2 :–प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

1	2	3	4	5
ज्येष्ठ लेखा अधिकारी	1*(2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''क'' राजपत्रित अननुसचिवीय	**वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11 वेतनमान** (67700-208700/-)	लागू नहीं होता।

6	7	8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत

				अल्पकालिक संविदा भी है)।

11	12	13
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विष्वविधालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या कानूनी या स्वायत संगठनों के ऐसे अधिकारी :– (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में **वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 वेतनमान** (56100-177500/-)या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में **वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7 वेतनमान** (44900-142400/-) या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की हैं; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है :– आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में डिग्री या समतुल्य, (ii) लेखा बजट और वित्तीय कार्य का पाँच वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 :–**वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7 वेतनमान** (44900-142400/-) में ऐसे विभागीय लेखा अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन **या** विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 :–प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे **सातवें** केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। टिप्पण 3 :– प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे **सातवें** केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दषा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना **आवश्यक** है।

1	2	3	4	5
सहायक निदेशक (राजभाषा)	1*(2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''क'' राजपत्रित अननुसचिवीय	**वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 वेतनमान** (56100-177500/-)	लागू नहीं होता।

6	7	8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति और आमेलन द्वारा।

11	12	13
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति और आमेलन : 1. केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में **वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 वेतनमान** (47600-151100/-) या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में **वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7 वेतनमान** (44900-142400/-) या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हैं; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव है : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहा हो या समतुल्य; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर हिन्दी एक विषय के रूप में रहा हो या समतुल्य; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहा हो या समतुल्य; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिन्दी एक विषय के रूप में रहा हो या समतुल्य; या (ii) हिन्दी में शब्दावली कार्य और हिन्दी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का पाँच वर्ष का अनुभव। तकनीक और वैज्ञानिक साहित्य या हिन्दी में तकनीक, अनुसंधान, लेखक या पत्रकारिता का पाँच वर्ष का अनुभव वाले को अधिमानता दिया जायगा। वांछनीय : (i) प्रषासन का अनुभव, (ii) हिन्दी कक्षाएँ आयोजित करने या टिप्पण और प्रारूपण के लिए कार्यशिविर का अनुभव। II ऐसे विभागीय ज्येष्ठ अनुवादक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उस पर नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। टिप्पण 1 :पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। टिप्पण 2 :प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। टिप्पण 3 :प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 से पहले (उस तारीख में जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दषा में जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पदों पर विस्तारित होगा	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

1	2	3	4	5
पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	1* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''क'' राजपत्रित अननुसचिवीय	**वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11 वेतनमान** (67700-208700/-)	लागू नहीं होता।

6	7	8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत संविदा भी है)।

11	12	13
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या स्वायत या कानूनी या अर्द्धसरकारी संगठनों के ऐसे अधिकारी :– (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में **वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 वेतनमान** (56100-177500/-) या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में **वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7 वेतनमान** (44900-142400/-) या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की हैं; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ है : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मास्टर डिग्री या समतुल्य। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य डिप्लोमा। (iii) किसी स्थायी पुस्तकालय में पर्यवेक्षी हैसियत का पाँच वर्ष का वृत्तिक अनुभव। वांछनीय : कप्यूटरीकृत पुस्तकालय क्रियाकलापों का अनुभव। II ऐसे विभागीय सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है, पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा यदि उसका उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्कालिक संविदा भी है) जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। टिप्पण 1: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। टिप्पण 2 :–प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 से पहले (उस तारीख में जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दषा में जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

1	2	3	4	5
ज्येष्ठ विधि अधिकारी	1*(2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''क'' राजपत्रित अननुसचिवीय	**वेतन मैट्रिक्स में लेवल** 11 **वेतनमान** (67700-208700/-)	लागू नहीं होता।

6	7	8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नही होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

11	12	13
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति : प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में **वेतन मैट्रिक्स में लेवल** 10 **वेतनमान** (56100-177500/-) में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है। (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री और भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त। (ii) विधिक कार्य अधिमानतः आपराधिक मामले संचालित करने का पाँच वर्ष का अनुभव। ऐसे विभागीय विधि अधिकारी श्रेणी–I जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा यदि उसका उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इस प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु	लागू नहीं होता।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

सीमा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। टिप्पण :प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 से पहले (उस तारीख में जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा मे जहॉ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहॉ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

1	2	3	4	5
विधि अधिकारी श्रेणी–I	1*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''क'' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 वेतनमान (56100-177500/-)	चयन

6	7	8	9	10
35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पॉच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु –सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम,मेधालय, अरूणाचल प्रदेष, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेष के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यकः (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री और भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त। (ii) विधिक कार्य अधिमानतः आपराधिक मामले संचालित करने का तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पणः 1, अर्हताएॅ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दषा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएॅ संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएॅ अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ	आयुः नहीं शैक्षिक अर्हताएँ : हाँ	सीधे भर्त्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्त्ती द्वारा।

	लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

11	12	13
प्रोन्नति :– **वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7वेतनमान** (44900-142400/-) में ऐसे विधि अधिकारी श्रेणी-II जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण1: जहॉ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में **वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7 वेतनमान** (44900-142400/-) में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हैं; (ख) जिनके पासस्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्त्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएँ और विहित अनुभव है। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख	समूह ''क'' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग–अध्यक्ष 2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रायल –सदस्य 3 खान सुरक्षा महानिदेशक या खान सुरक्षा उप महानिदशक–सदस्य समूह ''क'' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय–अध्यक्ष 2. खान सुरक्षा महानिदशक या खान सुरक्षा उप–महानिदशक– सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय–सदस्य।	**किसी अधिकारी की** सीधी भर्त्ती और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 से पहले (उस तारीख में जिससें सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा में जहॉ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहॉ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स का लेवल	चयन अथवा अचयन पद	**क्या सेवा के वर्धित वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है**
1	2	3	4	5	6
उप–महानिदेशक खान सुरक्षा (यांत्रिक)	1*(2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''क'' राजपत्रित अननुसचिवीय	**वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14 वेतनमान (**144200-218200**/-)**	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्त्ती किए जानेवाले व्यक्तियों की आयु–सीमा	सीधे भर्त्ती किए जानेवाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्त्ती किए जानेवाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्त्ती की पद्धति : भर्त्ती सीधे होगी या प्रान्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिषतता
7	8	9	10	11
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्त्ती की दषा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्त्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक संवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13	14
प्रोन्नति : **वेतन मैट्रिक्स में लेवल** 13 **वेतनमान** (123100-215900/-) में ऐसे खान सुरक्षा निदशक (यांत्रिक) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण1: जहॉ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम	समूह ''क'' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति का विचार करने के लिए) 1.अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग–अध्यक्ष 2.सचिव अथवा अपर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय–सदस्य 3 महानिदेशक.खान सुरक्षा–सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

बी नीरजा, अवर सचिव

———————————

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the16th January 2019

CORRIGENDUM

No. A.22017/1/2014-PME.—In this Office' Notification of even number dated 17.09.2018, for the words "Under Secretary of Central Secretariat Services", the words "a retired Under Secretary of Central Secretariat Service" be read.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

NITI AAYOG

New Delhi, the 17th December 2018

No. F.6 (2288)/2017-Adm.IA—In continuance to NITI Aayog's Notification of even No. dated 06.08.2018 and in pursuance of the approval of the Competent Authority, conveyed vide DoPT's OM No. 36/01/2018-EO(SM-I)(3) dated 14.12.2018, Shri Anil Srivastava (IAS:MP:85) is re-designated as Principal Adviser in NITI Aayog.

SHASHI PAL, Deputy Secretary

New Delhi, the 16th November 2018

No. F.6(2274)/2016-Adm.II—The President is pleased to permit Shri Som Dutt Sharma, CSS (CSL No.5766), Deputy Secretary, NITI Aayog to retire voluntarily from Government Service w.e.f. 14th November, 2018 under Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972 in terms of approval conveyed vide DoPT's O.M. No 17/1/2016-CS-I(D) dated 14.11.2018. This supersedes the earlier notification of even number dated 14th November, 2018.

DINESH KOCHHER, Under Secretary

The 18th December 2018

No. F.6(2228)/2013-Admn.I(Vol.II)—In pursuance of ACC's approval conveyed vide OM No.7/4/2013-EO (MM-I) dated 13.12.2018, Central deputation tenure of Sh. Sanjay Kumar, ICoAS(1999), Director, NITI Aayog, under Central Staffing Scheme, is extended for a period of six months beyond 02.12.2018.

2. He counts his central deputation tenure w.e.f 02.12.2013.

DINESH KOCHHER, Under Secretary

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
(DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT)

New Delhi, the 16th January 2019

No. CBI ID No. DP/Pers.1/2018/193/3/39/2014—Shri B. Shankar Rao, Deputy Superintendent of Police, CBI, ACB, Hyderabad has relinquished charge of the post of Deputy Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon 31.12.2018 on attaining the age of retirement on superannuation.

D.P. SINGH, Admn. Officer (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 16th January 2019

No. I-18011/04/2018-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following officers of the Indian Police Service borne on the cadre of Assam and Meghalaya, in the Indian Police Service with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl.No.	Name of the IPS Probationer	Date of confirmation in IPS
1.	Shri Thube Prateek Vijaykumar, IPS (AM:2013)	02.09.2015
2.	Ms. Ramandeep Kaur, IPS (AM:2013)	06.12.2015

ANJAN SARKAR, Under Secretary

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
[O/o DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL(F)]

New Delhi, the 3rd January 2019

No. DIII/460/CF-61/2018—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Antonio Jose Chrystello d'Oliveira Santos Tavares as the Consul General of Portugal in Goa with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Antonio Jose Chrystello d Oliveira Santos Tavares comprises the States of Goa, Maharashtra and Union Territories of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli with the seat in Goa.

D.C.D. DASS, Deputy Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 18th January 2019

No. A-12026/6/2016-Ad.I(Pt.)—The President is pleased to appoint the following Principal Private Secretaries (PPS) to the Senior Principal Private Secretary (Sr. PPS) grade of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) cadre in the Department of Expenditure, Ministry of Finance in Level 12 of Pay Matrix (Rs. 78,800/- 2,09,200/-) [pre-revised PB-3 (Rs.15600-39100+Rs.7600(GP)] on 'ad-hoc' basis with effect from the date of joining for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier:—

S.No. in List	Name	Department	Date of Joining
218	Shri A. K. Gaur	Expenditure	31.12.2018 (F/N)
225	Shri A. Radhakrishnan	Expenditure	28.12.2018 (A/N)

2. The ad-hoc appointment of the above mentioned officers to the Senior Principal Private Secretary (Sr. PPS) grade of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) cadre shall be governed in terms of the Department of Personnel & Training's OM No. 2/5/2017-CS.II (A) dated 28th December, 2018.

RAKESH KUMAR SINGH, Under Secretary

New Delhi, the 11th October 2018

No. A-12026/1/2015-Ad.I—The President is pleased to extend the central deputation tenure of Shri Chittaranjan Dash, IRS (IT: 1999) as Director in the Ministry of Finance, Department of Expenditure for a period of three months beyond 13.10.2018.

S.K. BISWAS, Under Secretary

The 17th December 2018

No. A-12026/6/2016-Ad.I(Pt.)—Consequent upon inclusion in the Select List year 2016 of Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) cadre of Department of Expenditure vide Department of Personnel & Training OM. No. 3/3/2016-CS.II(A) dated 22nd November, 2018, the President is pleased to appoint the following Private Secretaries of the Department of Expenditure, Ministry of Finance to Principal Private Secretary (PPS) grade of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) for the Select List Year 2016 in the pay scale of Rs. 15600-39100(PB-3)+Rs. 6600(GP) [Level of Pay Matrix] with effect from the date of joining on regular basis:—

S.No.	Name	CSL No.	Date of Joining
1.	Shri Neeraj Bhandari	140	22.11.2018
2.	Smt. Kavita Mansukhani	183	22.11.2018

2. The appointment of the above mentioned officers to Principal Private Secretary (PPS) gade of Central Secretariat Stenographer Service shall be governed in terms of the ibid OM of Department of Personnel & Training.

S.K. BISWAS, Under Secretary

The 4th January 2019

No. A-12026/1/2015-Ad.I—The President is pleased to extend the central deputation tenure of Shri Chittaranjan Dash, IRS (IT:1999) as Director in the Ministry of Finance, Department of Expenditure for a period of nine months beyond 13.01.2019 and up to 13.10.2019.

S.K. BISWAS, Under Secretary

New Delhi, the 15th January 2019

No. A-11019/01/2018-EG—The President is pleased to appoint Shri Jasvinder Sharma as Welfare Officer in the Office of the Accountant General (A&E), Punjab, Chandigarh in the scale of Rs.15,600–39,100/- (Grade Pay Rs. 6,600/-) (pre-revised) (Level-11 in Pay Matrix-Revised) with effect from 10.12.2018(A.N.) until further order.

HARI KISHORE, Under Secretary

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 16th January 2019

No. K-43011(15)/10/2018-SEZ(Admin.)—The President is pleased to appoint Shri K.Srinivasu, Under Secretary Department of Industrial Policy & Promotion, as Deputy Development Commissioner, Hyderabad Cluster Special Economic Zones, Hyderabad under the Department of Commerce, in the Level-11 of the Pay Matrix, corresponding to the Pay Band-3 of ₹ 1 5600-39100/ plus Grade Pay of ₹ 6600/-, on deputation on cost recovery basis, for a period of three years with effect from 6/4/2017 (forenoon) or until further order, whichever is earlier.

ADITYA NARAYAN, Under Secretary

No. A-22012/5/2018-SEZ (Admin.)—The President is pleased to appoint Smt. Oruganti Phani, Under Secretary, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare as Deputy Development Commissioner in Vishakhapatnam Special Economic Zone, Vishakhapatnam under the Department of Commerce in Level-11 of Pay Matrix, corresponding to the Pay Band-3 of ₹ 15600-39100/- plus Grade Pay ₹ 6600/- on deputation basis for a period of three years with effect from 22/10/2018 (forenoon) or until further orders, whichever is earlier.

ADITYA NARAYAN, Under Secretary

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 7th January 2019

No. A-19014/1/2018-Estt.—In pursuance of DoPT's Order No.2/5/2017-CS.II(A) dated 28.12.2018, the President is pleased to appoint Smt. Renu Wadhwa as Senior Principal Private Secretary in the Ministry of Textiles on ad-hoc basis w.e.f the forenoon of 31.12.2018 for the period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

2. This promotion is subject to the outcome of the SLP (C) No.30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and the SLP (C) No.31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP(C) No.3490/2010 filled by the All India Equality Forum & Others vs. UOI &Ors. and any other court case in a connected matter.

JAYASHREE SIVAKUMAR, Under Secretary

No. A-19014/2/2016-Estt.—In pursuance of DoPT's Order No.4/11/2015-CS-I(D)(Pt-1)(Vol.III) dated 28.12.2018, the President is pleased to appoint Smt. Alka Soni to the Selection Grade (Deputy Secretary) in the Ministry of Textiles in the Pay Matrix Level-12 (Rs.78,800 – 2,09,200) [pre-revised PB-3 (Rs.15,600 – 39,100) with a Grade Pay of Rs. 7,600/-] purely on 'ad-hoc' basis for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

2. This promotion is subject to the outcome of the SLP (C) No.30621/2011 (Jarnail Singh & Ors Vs Lachhmi Narain Gupta & Ors) and the SLP (C) No.31288/2017 and any other court case in connected matter.

JAYASHREE SIVAKUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 3rd January 2019

No. A-19011/10/2016-Estt.—The President is pleased to appoint Shri N. Mohan Ranganathan, Grade-I (Under Secretary) officer of the Central Secretariat Service (CSS) to the Selection Grade (Deputy Secretary) in the Pay Matrix Level-12 (Rs. 78,800-Rs. 2,09,200) in Department of Chemicals and Petrochemicals w.e.f. the afternoon of 28.12.2018, purely on 'ad-hoc' basis for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders whichever is earlier.

2. The above 'ad-hoc' promotion is subject to the conditions mentioned in para 3 of DoP&T's Order No. 4/11/2015-CS-I (D) (pt-I) (Vol.III) dated 28.12.2018 on the subject of adhoc promotion of Grade-I (Under Secretary) officer of the Central Secretariat Service (CSS) to the Selection Grade (Deputy Secretary).

3. The above 'ad-hoc' promotion is subject to the outcome of the SLP (C) No. 30621/2011 (Jarnail Singh & Ors Vs Lachhmi Narain Gupta & Ors) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court case in connected matter.

T. P. N. SINGH, Under Secretary

No. A-19011/13/2016-Estt.—The President is pleased to appoint Shri J.P. Singh, Grade-I (Under Secretary) officer of the Central Secretariat Service (CSS) to the Selection Grade (Deputy Secretary) in the Pay Matrix Level-12 (Rs. 78,800-Rs. 2,09,200) in Department of Chemicals and Petrochemicals w.e.f. the afternoon of 28.12.2018, purely on 'ad-hoc' basis for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders whichever is earlier.

2. The above 'ad-hoc' promotion is subject to the conditions mentioned in para 3 of DoP&T's Order No. 4/11/2015-CS-I (D) (pt-I) (Vol.III) dated 28.12.2018 on the subject of adhoc promotion of Grade-I (Under Secretary) officer of the Central Secretariat Service (CSS) to the Selection Grade (Deputy Secretary).

3. The above 'ad-hoc' promotion is subject to the outcome of the SLP (C) No. 30621/2011 (Jarnail Singh & Ors Vs Lachhmi Narain Gupta & Ors) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court case in connected matter.

T.P.N. SINGH, Under Secretary

No. A-19011/8/2013-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Satender Prasad, Section officer of Central Secretariat Service (CSS) to the Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Pay Matrix Level-11 (Rs. 67,700-Rs. 2,08,700) [pre-revised PB-3 (Rs.15,600 — 39,100) with a Grade Pay of Rs.6,600/-] in Department of Chemicals and Petrochemicals w.e.f. the afternoon of 28.12.2018, purely on 'ad-hoc' basis for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders whichever is earlier.

2. The above 'ad-hoc' promotion is subject to the conditions mentioned in para 3 of DoP&T's Order No. 5/4/2017-CS-I (U) dated 28.12.2018 on the subject of adhoc promotion of Section officer of Central Secretariat Service (CSS) to the Grade-I (Under Secretary) of CSS.

3. The above 'ad-hoc' promotion is subject to the outcome of the SLP (C) No. 30621/2011 (Jarnail Singh & Ors Vs Lachhmi Narain Gupta & Ars) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court case in connected matter.

T.P.N. SINGH, Under Secretary

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 11th January 2019

No. A-12011/3/2013-Estt. In pursuance of UPSC's recommendations vide their letter No.F.1/36(1)/2018-AP.I dated 29th November, 2018, the President is pleased to appoint the following regular Metrological Assistant as Assistant Director (LM) in Level 10 of the Pay Matrix (Rs. 56100-177500/-) on regular basis with effect from the forenoon of the 27th December, 2018 and until further orders:—

1.	Shri D.K. Verma
2.	Shri Dinesh Sagar
3.	Shri Nitin Marjara
4.	Smt. Shraddha Saxena
5.	Shri Bipin Sharma

ANIL KUMAR PANDEY, Under Secretary

The 17th January 2019

No. A-12011/1/2014- Estt.—In pursuance of the DoP&T's Order No. 5/8/2013-CS.I(U) dated 28th December, 2018, the President is pleased to extend the ad-hoc appointment of following Under Secretaries of CSS in the Department of Consumer Affairs, for a period upto 30.06.2019.

Sl.No.	Name of the Officers	CSL No.	Date from which officiating as US	Date upto which further extn. granted
1.	Shri P.K. Tyagi	7923	18.06.2013 (A/N)	30.06.2019
2.	Smt. Jayashree Narayanan	9205	29.09.2016	30.06.2019

2. The continuation of ad-hoc promotion is subject to the conditions mentioned in DoP&T's order mentioned above.

ANIL KUMAR PANDEY, Under Secretary

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 4th January 2019

No. A-19015/01/2013-Estt.—Consequent upon his promotion to the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service(CSS) on ad-hoc basis vide Department of Personnel and Training's Order No. 5/4/2017-CS.I(U) dated 28th December, 2018, the President is pleased to appoint Shri Birbal Singh Negi, Section Officer to the post of Under Secretary (Grade-I) of Central Secretariat Service (CSS) in the pay matrix Level 11 of Rs. (67700-208700/-) in the Department of Scientific and Industrial Research w.e.f. 28.12.2018(AN) purely on ad-hoc basis for a period upto 30.06.2019 or till the post is filled up on regular basis, or until further orders whichever is earlier. The ad-hoc promotion will be subject to the following conditions:

i. The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the SL for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (US) of the CSS.

ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof.

iii. The service rendered on ad-hoc basis in the Grade-I (US) would not count for the purpose of seniority in that Grade or for promotion to the next higher grade.

iv. The ad-hoc promotion will remain subject to outcome of the SLP (C) No. 30621/2011 (Jarnail Singh & Ors. Vs. Lachhmi Narain Gupta & Ars.) and SLP (C) No. 31288/2017 and any other court case in a connected matter.

KULDIP KUMAR, Under Secretary

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD)

Mumbai-400 094, the 18th January 2019

No. AERB/Admn/1/77/196—The President of India is pleased to appoint Shri Guntur Nageswara Rao as Chairman, Atomic Energy Regulatory Board for a period of three years with effect from 04.01.2019(FN) or until further orders, whichever is earlier.

SHEELA MOHAN, Chief Administrative Officer

DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT

Mumbai-400094, the 18th January 2019

No. DCSEM/A/9(334)/2018-Rectt./80—The President is pleased to appoint the following Accounts Officers in the Directorate of Construction, Services and Estate Management, Department of Atomic Energy, Mumbai on their promotion to the grade and date mentioned against each until further orders :—

S/No.	Name	Grade on Promotion	Level in Pay Matrix	Date of Assumption of Charge
1.	Smt. Reeta S. Ghogale	Senior Accounts Officer	10	01.09.2017
2.	Shri R. Balakrishnan	Senior Accounts Officer	10	01.01.2019

S. KOMALAVALLI, Administrative Officer-III

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 14th January 2019

No. E(O)III-2019/RN/01—Consequent upon his permanent absorption in Container Corporation of India Ltd. (CONCOR), Shri Shankar Mazumdar, Senior Administrative Grade officer of the Indian Railway Service of Mechanical Engineers (DOB: 09/02/68, DITS: 07/03/90) has resigned from Railway service with effect from 20/12/2018.

RANJANESH SAHAI, Secretary

The 15th January 2019

No. E(O)III-2019/RN/02—Consequent upon his permanent absorption in Container Corporation of India Ltd. (CONCOR), Shri Santosh Sinha, Senior Administrative Grade officer of the Indian Railway Service of Mechanical Engineers (DOB: 30/09/67, DITS: 10/03/91) has resigned from Railway service with effect from 20/12/2018.

RANJANESH SAHAI, Secretary

The 17th January 2019

No. ERB-I/2017/2/14—The President is pleased to appoint Shri Dharmendra Kumar, IRTS as Executive Director (Mil Rail) in Army Headquarter, Sena Bhawan, on promotion to SA Grade with effect from forenoon of 10.01.2019.

RANJANESH SAHAI, Secretary

The 18th January 2019

No. E(O)III-2018/RN/45—Consequent upon his permanent absorption in CONCOR, Shri Alok Badkul, a Senior Administrative Grade Officer (under NBR) of the Indian Railway Traffic Service (DOB-06.11.1971, DITS-25.08.97), has resigned from Railway service with effect from 20/12/2018.

RANJANESH SAHAI, Secretary

No. E(O)III-2018/RN/46—Consequent upon his permanent absorption in CONCOR, Shri Gudla Ravi Kumar, a Senior Administrative Grade Officer (under NBR) of the Indian Railway Traffic Service (DOB-01.07.1964, DITS-05.06.95), has resigned from Railway service with effect from 20/12/2018.

RANJANESH SAHAI, Secretary

No. E(O)III-2018/RN/47—Consequent upon his permanent absorption in CONCOR, Shri Mohd. Azhar Shams, a Senior Administrative Grade Officer (under NBR) of the Indian Railway Traffic Service (DOB-19.02.1966, DITS-05.09.94), has resigned from Railway service with effect from 20/12/2018.

RANJANESH SAHAI, Secretary

MINISTRY OF NEW & RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 18th January 2019

No. 50/48/2017-Admn.I—In terms of Department of Personnel & Training's O.M. No. 6/4/2016-CS-I(S) dated 28th December, 2018, Smt. Suman Lata Sharma, Assistant Section Officer of CSS cadre is promoted to the post of Section Officer's Grade of CSS in the Ministry of New & Renewable Energy on ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 17th January, 2019 upto 31.12.2019 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders whichever is earlier.

2. The promotion is further subject to the terms and conditions laid down in Department of Personnel & Training's O.M. No. 6/4/2016-CS-I(S) dated 28th December, 2018.

K. G. SURESH KUMAR, Under Secretary

No. 67/2/2019-Admn.I—In terms of DoPT`s O.M. No. 4/2/2018- CS.II(A) dated 31st December, 2018, the following Personal Assistants of CSSS cadre are promoted to the post of Private Secretary on ad-hoc basis in Ministry of New & Renewable Energy w.e.f. the forenoon of 18.01.2019 for the period up to 30/06/2019 or till the post are filled up on regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

1. Ms. Babita Saini
2. Sh. Kishore Kr. Hemdani
3. Sh. Ashim Kumar Das
4. Sh. Rajnish Kumar

K. G. SURESH KUMAR, Under Secretary

New Delhi-110003, the 22nd January 2019

No. 50/3/2018-Admn.I—Sh. Rakesh Kumar, PS in the Ministry of New and Renewable Energy, retired voluntarily from Government service with effect from the forenoon of 22nd Jan, 2019.

ARVIND POKHRIYAL, Under Secretary

The 23rd January 2019

No. 49/9/2018-ADMIN-I—In terms of Department of Personnel and Training's O. M. No. 20/1/2018-EO(MM-I) dated 27th December, 2018, Sh. Prasanth N., IAS(KL:07)is relieved from his duties in the Ministry of New & Renewable Energy w.e.f. the forenoon of 23rd January, 2019.

ARVIND POKHRIYAL, Under Secretary

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 8th January 2019

No. A-31011/04/2018-CLS-I—On his promotion to Higher Administrative Grade of Central Labour Service, the President is pleased to appoint Shri Rajan Verma as Chief Labour Commissioner (Central) in the Ministry of Labour & Employment in pay Level 15 of Pay Matrix (Rs.182,200-224,100/-) w.e.f. 01.01.2019 (FN) and until further orders.

AJAY MALIK, Under Secretary

New Delhi, dated 2018

No. A-12018/2/2016-15H-II—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate General of Mines Safety (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' posts in the Directorate General of Mines Safety, under the Ministry of Labour and Employment, namely :—

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Directorate General of Mines Safety (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed hereto.

3. Number of posts, classification and scale of pay.- The number of the said posts, their classification, and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification.- No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts.

   Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate General of Mines Safety (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' posts in the Directorate General of Mines Safety, under the Ministry of Labour and Employment, namely :—

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Directorate General of Mines Safety (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed hereto.

3. Number of posts, classification and scale of pay.- The number of the said posts, their classification, and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay in the Pay Matrix/Level	Whether Selection post or non-Selection post
1	2	3	4	5
Deputy Director General of Mines Safety (Mining)	9*(2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Level 14 in the Pay Matrix (1,44,200-2,18,200/-)	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of the vacancies to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
Promotion: Director of Mines Safety (Mining) in Level 13 in the Pay Matrix (1,23,100-1,15,900/-), with three years' regular service in the grade. Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission–Chairman. (2) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Labour and Employment–Member. (3) Director -General of Mines Safety, DGMS–Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for making recruitment.

Note 2 :For the purposes of computingminimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.		

1	2	3	4	5
Director of Mines Safety (Mining)	50*(2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Level 13 in the Pay Matrix (1,23,100-2,15,900/-)	Selection

6	7	8	9	10
Not exceeding 50 years. Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential (i) Degree in Mining Engineering of a recognised university or Institution or pass in Section A and B of the Associate Membership examination in Mining Engineering Branch from the Institution of Engineers (India) incorporated by the Royal Charter, 1935. (ii) First Class Mine Manager's Certificate granted under the Coal Mines Regulations, 2017 and under the Metalliferous Mines Regulations, 1961 (Unrestricted). (iii) Twelve years' experience in Mining of which at least five years should be in a senior Managerial post in the Management of large and mechanised underground Mines or in work connected with the implementation of the Mines Act, 1952 (35 of 1952). Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if any at any stage of selection , the Union Public Service Commission is of	Age : No. Educational qualifications : Yes	One year for direct recruits.	By promotion, failing which by deputation (Including Short Term Contract) failing both by direct recruitment.

	the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable Post-Graduate Degree in Mining Engineering from a recognised University or Institution.			

11	12	13
Promotion Deputy Director of Mines Safety (Mining) in Level 12 in the Pay Matrix (78,800-2,09,200/), with three years' regular service in the grade. Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 : For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission. Deputation (Including Short-Term Contract): Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Recognised Research Institutions or Universities or Statutory or Autonomous Organisations : (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Posts in Level 12 in the Pay Matrix (78,800-2,09,200/-) or equivalent in the parent cadre or department ; and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. (The departmental officers in the feeder	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission–Chairman. (2) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Labour and Employment–Member. (3) Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment–Member. (4) Director-General of Mines Safety or Deputy Director-General of Mines Safety- Member. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation): (1) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Labour and Employment – Chairman. (2) Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment– Member. (3) Director-General or Deputy Director-General of Mines Safety – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short-term contract).

category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion). (Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short- term contract) shall be not exceeding 56 years' as on the closing date of the receipt of applications). Note : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger more than one pre-revised scale of pay in to one grade with a common Grade Pay or Pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that Grade Pay or Pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

1	2	3	4	5
Deputy Director General of Mines Safety (Electrical)	1*(2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A'Gazetted Non-Ministerial	Level 14 in the Pay Matrix (1,44,200-2,18,200/-)	Selection

6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

11	12	13
Promotion Director of Mines Safety (Electrical) in Level 13 in the Pay Matrix (1,23,100-2,15,900/-), with three years' regular service in the grade. Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 : For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission– Chairman. (2) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Labour & Employment – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making promotion.

extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.	(3) Director-General of Mines Safety– Member.	

1	2	3	4	5
Director of Mines Safety (Electrical)	16*(2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Level 13 in the Pay Matrix (1,23,100-2,15,900/-)	Selection

6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation including short-term contract.

11	12	13
Promotion Deputy Director of Mines Safety (Electrical) in Level 12 in the Pay Matrix (78,800-2,09,200/), with five years' regular service in the grade. Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 : For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission. Deputation (Including Short-Term Contract): Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Posts in Level 12 in the Pay Matrix (78,800-2,09,200/-) or equivalent in the parent cadre or department ; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : Essential : (i) Degree in Electrical Engineering from a recognised university or Institution or pass in section A and B of associate membership examination in Electrical Engineering branch from Institution of Engineers (India). (ii) Twelve years' professional experience in generation, transmission or distribution of electricity or maintenance of electrical equipment	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman. (2) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Labour and Employment– Member. (3) Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment– Member. (4) Director-General of Mines Safety or Deputy Director-General of Mines Safety (Electrical)- Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

(including at least three years' experience in electrical engineering in direct relation to plant and equipment used in Mining). Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualifications regarding experience isrelaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		

1	2	3	4	5
Director of Mines Safety (Mechanical)	16*(2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A'Gazetted Non-Ministerial.	Level 13 in the Pay Matrix (1,23,100-2,15,900/-)	Selection

6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion, failing which by deputation including short-term contract.

11	12	13
Promotion Deputy Director of Mines Safety (Mechanical) in Level 12 in the Pay Matrix (78,800-2,09,200/-), with five years' regular service in the grade. Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission. Deputation (Including Short-Term Contract): Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations : (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Posts in Level 12 in the Pay Matrix (78,800-2,09,200/-) or equivalent in the parent cadre or department ; and	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission– Chairman. (2) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Labour and Employment– Member. (3) Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment– Member. (4) Director-General of Mines Safety or Deputy Director-General of Mines Safety (Mechanical)-Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

(B) possessing the following educational qualifications and experience : Essential : (i) Degree in Mechanical Engineering from a recognised university or Institution or pass in section A and B of associate membership examination in Mechanical Engineering branch from Institution of Engineers (India). (ii) Twelve years experience in an industrial installation or engineering workshop (including at least three years experience in Mechanical Engineering in direct relation to plant and equipment used in Mining). Desirable : Master's degree in Mechanical Engineering from a recognised University or Institution. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion). (Period of deputation (including short- term contract) including the period of deputation(including short- term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short- term contract) shall be not exceeding 56 years' as on the closing date of the receipt of applications). Note : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger more than one pre-revised scale of pay in to one grade with a common Grade Pay or Pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that Grade Pay or Pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

1	2	3	4	5
Deputy Director of Mines Safety (Occupational Health)	5*(2019) * Subject to variation dependent on orkload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Level 12 in the Pay Matrix (78,800-2,09,200/-). Plus Non-practicing Allowance	Selection

6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	40% by promotion 60% by deputation (including short-term contract).

11	12	13
Promotion Assistant Director of Mines Safety (Occupation Health) Grade-I in Level 11 in the Pay Matrix (67,700-2,08,700), with five years' regular service in the grade.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : (1) Chairman or a Member	Consultation with the Union Public Service Commission is

Deputation (Including Short-Term Contract): Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Recognised Institutions or Statutory or Autonomous Organisations or Public Sector Undertakings : (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years' regular service in Level 11 in the Pay Matrix (67,700-2,08,700/-) or equivalent ; and (b) Educational Qualification : (i) A recognized medical qualification included in the First or the Second Schedule or Part-II of the Third Schedule(other than the licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in part-II of the Third Schedule should fulfill the conditions stipulated in section 13(3) of the said Act. (ii) A recognized post-graduate Degree in Community Medicine with seven years' experience in field of Occupational Health, preferably in factories or mines. OR A recognised Post Gradudate Diploma in Industrial Health or Occupational Health or Public Health with eight years' experience in the field of Occupational Health, preferably in factories or mines. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation (including short- term contract) including the period of deputation(including short- term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short- term contract) shall be not exceeding 56 years' as on the closing date of the receipt of applications). Note : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay in to one grade with a common Grade Pay or Pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that Grade Pay or Pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	of the Union Public Service Commission– Chairman. (2) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Labour and Employment– Member. (3) Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment – Member. (4) Director-General of Mines Safety or Deputy Director-General of Mines Safety - Member.	necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

1	2	3	4	5
Assistant Director of Mines Safety (Occupational Health) Grade I	4*(2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Level 11 in the Pay Matrix (67,700-2,08,700/-). Plus Non-practicing Allowance	Not applicable

6	7	8	9	10
Not exceeding 40 years. Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential (i) A recognised Medical Qalification included in the First or the Second Schedule or Part-II of the Third Schedule (other than the licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational Qalifications included in part-II of the Third Schedule fulfill the conditions stipulated in section 13 of the said Act. (ii) A recognised Post Graduate Degree in Community Medicine with two years' experience in the field of Occupational Health, preferably in factories or mines. OR A recognised Post-Graduate Diploma in Industrial health or Occupational Health or Public Health with three years' experience in the field of Occupational Health preferably in factories or mines. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	One year for Direct Recruitment	Direct Recruitment

11	12	13
Not applicable	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) (1) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Labour and Employment– Chairman. (2) Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment – Member. (3) Director-General of Mines Safety or Deputy Director-General of Mines Safety- Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

1	2	3	4	5
Director (Administration)	1*(2019) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A'Gazetted Non-Ministerial	Level 13 in the Pay Matrix (1,23,100-2,15,900/-)	Not applicable

6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation including short-term contract.

11	12	13
Promotion or Deputation (Including short-term contract) Officers under the Central or State Government or Union Territories or Recognised Research Institutions or Universities or Statutory or Autonomus Organisations: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii)with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 12 in the Pay Matrix (78,800-2,09,200/-) or equivalent; or (iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular service in posts in Level 11 in the Pay Matrix (67,700-2,08,700/-) or equivalent; and (b) Possessing twelve years' experience of administration or establishment work in supervisory capacity in a Government office or a Public body or a Commercial Organisations of repute. Note 1 : The Departmental Deputy Director(Administration) with ten years' regular service in the grade will also be considered alongwith the outsiders in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Note 3 : The departmental officer in the feeder grade who is in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputationin another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short- term contract) shall be not exceeding 56 years' as on the closing date of the receipt of applications). Note 4 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger more than one pre-revised scale of pay in to one grade with a common Grade Pay or Pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that Grade Pay or Pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

1	2	3	4	5
Deputy Director (Administration)	1*(2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Level 11 in the Pay Matrix (67,700-2,08,700/-).	Selection

6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	Promotion failing which by deputation including short-term contract.

11	12	13
Promotion Administrative Officer or Administrative Officer (Store) in Level 7 in the Pay Matrix (44,900-1,42,400/-) with seven years regular service in	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :	Consultation with Union Public Service

the grade. Note 1 : The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective grade or post. Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 3 : For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission. Deputation (Including short-term contract) Officers under the Central or State Government or Union Territory or Recognised Research Institutions or Universities or Statutory or AutonomusOrganisations: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii)with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 10 in the Pay Matrix (56,100-1,77,500/-) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 7 in the Pay Matrix (44,900-1,42,400/-) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing five years' experience of Administration andEstablishment work in supervisory capacity in a Government office or a Public body or a Commercial Organisation of repute. Note 1 : The departmental officer in the feeder grade who is in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including the period of deputationin another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short- term contract) shall not be exceeding 56 years' as on the closing date of the receipt of applications). Note 2 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay in to one grade with a common Grade Pay or Pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that Grade Pay or Pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman. (2) Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment – Member. (3) Director-General of Mines Safety or Deputy Director-General of Mines Safety - Member.	Commission is necessary in each occasion.

1	2	3	4	5
Senior Accounts Officer	1*(2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Level 11 in the Pay Matrix (67,700-2,08,700/-).	Not applicable

6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees.	Promotion failing which by deputation including short-term contract.

11	12	13
Promotion/Deputation (Including short-term contract): Officers of the Central or State Government or Union Territories or Universities or Public Sector Undertakings or Recognised Research Institutions or Statutory or Autonomus Organisations: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii)with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 10 in the Pay Matrix (56,100-1,77,500/-) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 7 in the Pay Matrix (44,900-1,42,400/-) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: Essential : (i) Degree in Commerce from a recognised University or Institutions. (ii) Five years' experience in Accounts, Budget and Financial work. Note 1 : The Departmental Accounts Officer in the Level 7in the Pay Matrix (44,900-1,42,400/-) with seven years' regular service in the grade will also be considered alongwith the outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. (Period of deputation (including short- term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short- term contract) shall be not exceeding 56 years' as on the closing date of the receipt of applications). Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Note 3 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay in to one grade with a common Grade Pay or Pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that Grade Pay or Pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

1	2	3	4	5
Assistant Director (Official Language)	1*(2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Level 10 in the Pay Matrix (56,100-1,77,500/-).	Not applicable

6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	Promotion failing which by deputation and absorption.

11	12	13
Promotion or Deputation and Absorption I. Officers under the Central Government : (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii)with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 8 in the Pay Matrix (47,600-1,51,100/-) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the posts in Level 7 in the Pay Matrix (44,900-1,42,400/-) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: Essential : (i) Master's Degree of a recognised University or equivalent in Hindi with English as a subject at the Degree level ; or Master's Degree or a recognised University or equivalent in English with Hindi as a subject at the degree level; or Master's Degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi Medium and English as a subject at the Degree level ; or Master's Degree of a recognised University or equivalent in any subject with English medium and Hindi as subject at the Degree level; and (i) Five years' experience of terminology work in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa. Preferably of technical and scientific literature, or five years' experience of teaching, research, writing or journalism in Hindi. Desirable : (i) Administration experience. (ii) Experience of organising Hindi classes or workshop for noting and drafting. II : The Departmental Senior Hindi Translator with three years regular service in the grade will also be considered alongwith the outsiders in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment by depuation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment on promotion basis. (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years' as on the closing date of the receipt of applications). Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Note 3 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (date from which the revised pay structure based	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger more than one pre-revised scale of pay in to one grade with a common Grade Pay or Pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that Grade Pay or Pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

1	2	3	4	5
Library and Information Officer	1*(2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Level 11 in the Pay Matrix (67,700-2,08,700/-).	Not applicable

6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).

11	12	13
Promotion or Deputation: (Including short-term contract): I. Officers of the Central n Territories or Public Sector or State Governments or Unio Undertakings or Universities or Recognised Research Institution or Autonomous or Statutory or Semi Government Organisations : (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 10 in the Pay Matrix (56,100-1,77,500/-) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the posts in Level 7 in the Pay Matrix (44,900-1,42,400/-) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications: Essential : (i) Master's Degree of a recognised University or Institution or (ii) Master's degree or equivalent Diploma in Library Science of a recognized University or Institution or equivalent. (iii) Five years' professional experience in a supervisory capacity in a library of standing. Desirable Experience of Computerising library activities. II : The Departmental Assistant Library and Information Officer with seven years regular service in the grade will also be considered alongwith the outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion. (Period of deputation (including short- term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short- term contract) shall be not exceeding 56 years' as on the closing date of the receipt of applications).	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

Note 1 : For the purpose of computing minimumqualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Note 2 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger more than one pre-revised scale of pay in to one grade with a common Grade Pay or Pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that Grade Pay or Pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

1	2	3	4	5
Senior Law Officer	1*(2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A'Gazetted Non-Ministerial.	Level 11 in the Pay Matrix (67,700-2,08,700/-).	Not applicable

6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation

11	12	13
Promotion or Deputation (Including short-term contract): Officers under the Central or State Government or Union Terrirories: (a)(i) holding analogous posts on regular basisin the parent cadre or department ; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 10 in the Pay Matrix (56,100-1,77,500/-) or equivalentin the parent cadre /department; (b) Possessing the following educational qualifications and experience: (i) Degree in Law of a recognised University and recognised by Bar Council of India. (ii) Five years' experience of legal work preferably in conducting criminal cases. The Departmental Law Officer Grade-I with five years' regular service in the grade will also be considered alongwith the outsiders and in case he is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion. The departmental officerin the feeder grade who is in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationistsshall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarilynot exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years' as on the closing date of the receipt of applications). Note 1 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger more than one pre-	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occassion.

revised scale of pay in to one grade with a common Grade Pay or Pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that Grade Pay or Pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

1	2	3	4	5
Law Officer Grade I	1*(2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Level 10 in the Pay Matrix (56,100-1,77,500/-).	Selection

6	7	8	9	10
Not exceeding 35 years. Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential (i) Degree in Law of a recognised University and recognised by Bar Council of India. (ii)Three years' experience of Legal work preferably in conducting criminal cases. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion at the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection , the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age : No Educational qualifications : Yes	One year for directrecruits	Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.

11	12	13
Promotion Law Officer Grade- II in Level 7 in the Pay Matrix (44,900-1,42,400/-) with three years regular service in the grade. Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 : For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2016 or the date from	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman. (2) Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment – Member. (3) Director-General of Mines Safety or Deputy Director-General of Mines Safety - Member. Group 'A' Departmental	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation.

which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission. Deputation: Officers under the Central or State Government or Union Territor:ies (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) With three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 7 in the Pay Matrix (44,900-1,42,400/-) or equivalent in the parent cadre or department. (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under colmn 7. The departmental officer the feeder grade who is in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationistsshall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including the period ofdeputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shallordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short- term contract) shall not be exceeding 56 years' as on the closing date of the receipt of applications). Note : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger more than one pre-revised scale of pay in to one grade with a common Grade Pay or Pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that Grade Pay or Pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Promotion Committee (for considering confirmation): (1) Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment – Member. (2) Director-General of Mines Safety or Deputy Director-General of Mines Safety - Member. (3) Director or Deputy Secretary, Ministry of Labour & Employment - Member	

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay in the Pay Matrix/Level	Whether Selection post or non-Selection post	Whether benefit of added years of Service admissible
1	2	3	4	5	6
Deputy Director General of Mines Safety(Mechanical)	1*(2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Level 14 in the Pay Matrix (1,44,200-2,18,200/-)	Selection	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of the vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion Director of Mines Safety (Mechanical) in Level 13 in the Pay Matrix (1,23,100-2,15,900/-), with three years' regular service in the grade. Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 : For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission– Chairman. (2) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Labour and Employment – Member. (3) Director-General Mines Safety, DGMS– Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

B. NEERAJA, Under Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

BANSHI DHAR DUBEY Digitally signed by BANSHI DHAR DUBEY
Date: 2019.02.05 08:07:14 +05'30'